IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राजस्थान में समावेशी विकास एवं वित्तीय समायोजन एक शोध्परक अध्ययन

लेखक
डॉ. भूरसिंह जाटव
असिस्टेंट प्रोपफेसर,
संजीवनी महाविद्यालय,
बिजयनगर, अजमेर ;राज.द्ध

सारांश ;Abstract)&

राजस्थान शुरू से ही एक पिछड़ा राज्य रहा है, परन्तु समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निर्ध्नता उन्मूलन एवं विकास पर विशेष बल देती रही हैं, इसके लिए रोजगार सृजन पर बल एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने मनरेगा को अच्छे से लागू करने का प्रयास किया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। राज्य सरकार, केन्द्र की मदद से ग्रामीण एवं दूर–दराज के क्षेत्राों तक सड़क मार्ग, इन्टरनेट कनेक्शन पर बल दे रही है। डीजिटल पंचायत इसी क्रम में एक विशेष कदम है छोटी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। राज्य सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा पेन्शन जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष बल दे रही है। मातृत्व सशक्तिकरण, जननी सुरक्षा योजना, बाल विकास कार्यक्रम, मिड–डे–मील, छात्रावृत्ति जैसी अनेक योजनाएं है जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पिछली राज्य सरकार की भामाशाह योजना वित्तीय समावेशन योजना का ही दूसरा नाम था, जिसके माध्यम से सरकार योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुँचाने का प्रयास था।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि फ्समावेशी विकासय एक व्यापक एवं बहुआयामी अवधरणा है इसमें समतामूलक विकास, संतुलित क्षेत्राीय विकास तथा समग्र आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह वह विकास जिसके माध्यम से विभिन्न वर्गों, विविध् क्षेत्राों, विविध् प्रदेशों तथा महिला–पुरूष तथा सभी वर्गों एवं जातियों के विकास हेतु समन्वित रणनीति बनाई एवं अपनाई जाती है। समावेशी विकास के माध्यम से एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है जिससे विकास का लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तथा देश के दूर–दराज के इलाकों तक पहुँचे। आज लोकतांत्रिक सरकारों के युग में फ्समावेशी विकासय ही देश के सर्वांगीण विकास की आधरशिला बन सकता है।

मुख्य बिन्दु ;ज्ञमल ॅवतकद्ध– समावेशी विकास, समग्र आर्थिक विकास, वित्तीय समायोजन, गरीबी और आर्थिक विकास।

प्रस्तावना–

भारतीय संविधन की प्रस्तावना सम्यक मूलक समाज की स्थापना पर बल देती है, जिससे न केवल सामाजिक सशक्तिकरण मजबूत हो, अपितु देश की एकता और अखण्डता भी अक्षुण्ण रहे। समतामूलक समाज की स्थापना करना संस्कृति की एक सनातन खासियत रही है। फ्सर्वे भवन्तु सुखिनः य भारतीय संस्कृति का उद्घोष वाक्य रहा है। 1951–1991 तक देश में प्रचलित नेहरू–महालनोबिस मॉडल तथा 1991 के बाद से लागू राव–मनमोहन मॉडल दोनों में ही संतुलित एवं समतामूलक विकास की अवधरणा को अपनाया गया परन्तु 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने अपनी रणनीति को विकास मूलक बनाते हुए फ्समावेशी विकासय की परिकल्पना को देश के सामने रखा। फ्समावेशी विकासय आर्थिक विकास का एक बहुआयामी दर्शन है जो सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय तथा सम्यक् न्याय पर आधरित है। समावेशी विकास में प्लेटों के फ्आदर्श राज्यय एवं गाँधी के फ्रामराज्यय की परिकल्पना को समाहित

किया जाता है। समावेशी विकास, विकास का ऐसा मॉडल है। जिसमें सर्वाधिक कमजोर एवं गरीब व्यक्तियों और सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों को प्रमुखता प्रदान करते हुए समग्र विकास पर बल दिया जाता है। फसमावेशी विकासय विकास का वह प्रारुप है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास का गुणात्मक एवं मात्राात्मक लाभ सभी क्षेत्रों के सभी लोगों को हो। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति और देश के दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विकास सुनिश्चित करना है। उच्च आर्थिक विकास दर अपने में यह सुनिश्चित नहीं करती है कि समावेशी विकास है। समावेशी विकास में लक्षित वर्ग ग्रामीण एवं शहरी गरबी तथा कमजोर वर्ग हैं जिसमें भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त तथा छोटे किसान, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के कमजार तथा निर्धन, रिक्शा चालक इत्यादि शामिल है, जो आर्थिक विकास की सामान्य प्रक्रिया में कम लाभान्वित होते है, परन्तु 'समावेशी विकास' में समाज के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रा, स्त्राी तथा बच्चे बिना किसी भेदभाव के लाभान्वित होते हैं।

शोध उद्देश्य–

1. राजस्थान में समावेशी विकास की प्रमुख योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
2. राजस्थान में समावेशी विकास एवं वित्तीय समायोजन का अध्ययन करना।
3. राजस्थान में समावेशी एवं त्वरित विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाऐं–

1. राजस्थान में गरीबी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास योजनाओं लागू की जा रही है।
2. राजस्थान में समावेशी विकास योजनाऐं लागू करने से आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में निरन्तर सुधर हो रहा है।
3. राजस्थान के विकास हेतु समावेशी विकास योजनाएँ लागू करना अत्यंत आवश्यक है।

साहित्यिक पुनरावलोकन–

जी.एल. शर्मा– फसामाजिक मुद्देय ;वबपंस प्ेनमेद्ध रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2015,2019 इस पुस्तक को उनकी प्रकृति के अनुसार 6 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को, दूसरे भाग में आर्थिक मसलों को, तीसरे भाग में राजनैतिक पशासनिक मुद्दों को, चौथे भाग में वैधनिक कानूनी मुद्दों, पांचवे भाग में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को तथा छठे भाग में वैश्विक एवं पर्यावरणीय मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक मुद्दे पर अवधरणात्मक स्पष्टता के साथ मौलिक सुझावों को शामिल कर समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया है। दूसरे भाग में आर्थिक मसलों पर व्यापक प्रकाश ड़ाला है जिसमें समावेशी विकास एवं वित्तीय समायोजन पर विस्तृत परिचर्चा की गई है जिसे प्रस्तुत शोध्पत्रा में व्यापक उपयोगी बनाया गया है।

लक्ष्मीनारायण नाथूराम– फराजस्थान की अर्थव्यवस्थाय ;म्बवदवउल व ित्रेंजींदद्ध त्ठक प्रकाशन, जयपुर 31ज म्कपजपवद. 2020 इस पुस्तक में राज्य में कांग्रेस सरकार की नई नीतियों व कार्यक्रमों का समावेश किया गया है इसमें म्बवदवउपब त्मअपमू. 2019.20एश्जंजपेजपबंस ल्मंत ठववा व ित्रेंजींद 2018ए राज्य के 34 सार्वजनिक उपक्रमों पर 2017–18 की नवीनतम रिपोर्ट का उपयोग किया गया है तथा समावेशी विकास एवं वित्तीय समायोजन पर प्रकाश ड़ाला गया है जैसे–जैसे वर्तमान सरकार के नये कार्यक्रम घोषित किये गये है, उनका यथा स्थान समावेश किया गया है।

के.एल. गोयल एवं तृप्ति गोयल– फराजस्थान की अर्थव्यवस्थाय राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2020, इस पुस्तक में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अद्यतन सामग्री प्रस्तुत की गई है इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों यथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाध्न कृषि, सार्वजनिक निजी सहभागिता, आर्थिक नियोजन, समावेशी विकास एवं वित्तीय समायोजन पर स्तरीय सामग्री प्रस्तुत की गई है। समसामयिक विषय की जरुरत के अनुसार जैसे– विमुद्रीकरण, माल व सेवा कर ;ळैज्द्धए छच्। की समस्या आदि को भी पुस्तक में उचित स्थान दिया गया है।

संजय कुमार– फभारत में समावेशी शिक्षा सामाजिक विविध्ताय ;दृष्टिकोण, चुनौतियां और प्रयोगद्ध, देशकाल पब्लिकेशन, दिल्ली प्रथम संस्करण जून, 2014 एवं अंतिम संस्करण जून, 2019 इस पुस्तक में शिक्षा के विमर्श, शिक्षा समाज का विस्तार, भारतीय समाज की बहुलता एवं विविध्ता, शिक्षा के क्षेत्रा में सकारात्मक प्रवृत्ति, समोवशी शिक्षा, बच्चों का समावेशी विकास आदि पर प्रकाश ड़ाला है।

तेजस्कर पाण्डेय एवं संगीता पाण्डेय– फभारत में सामाजिक समस्याऐंय च्नइसपीमक इल ज्जं डबहतूं.भ्पसस छमू क्मसीप. 110008ए 2009ए 2019 यह पुस्तक सामाजिक समस्या के समस्त महत्वपर्ण क्षेत्रों पर सम्यक विवेचना में युक्त है, सामाजिक समस्या के तथ्यों का विश्लेषण करने में यथासंभव योगदान देती है। इसमें बाल कल्याण, युवा कल्याण,

महिला कल्याण, समाज कार्य एवं योजनाओं के क्षेत्रों का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है साथ ही समावेशी एवं वित्तीय समायोजन पर भी प्रकाश डाला है।

फराजस्थान आर्थिक समीक्षाय 2019–20, यह आर्थिक समीक्षा एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे राज्य सरकार के बजट की प्रस्तुति के समय राज्य विधनसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ राज्य में लागू किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों, समावेशी विकास एवं वित्तीय समायोजन पर प्रकाश डाला गया है।

विध् तंत्रा एवं आंकड़ों का संकलन–

किसी भी शोध् कार्य के लिए शोध्कर्ता को तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन, संकलन की विध्यिों व आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण, व शोध् प्रतिवेदन हेतु एक निश्चित प्रारुप का अध्ययन करना होता है। प्रस्तुत शोध्पत्रा में प्राथमिक समंक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों के लिए प्रश्नोत्तरी व अवलोकन प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है और औपचारिक व अनौपचारिक वार्तालाप किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित पत्रा–पत्रिकाऐं, संदर्भित पुस्तकें, योजनाऐं, सरकारी वेबसाइट, न्यूज पेपर में प्रकाशित शोध्पत्रों का उपयोग किया गया है।

राजस्थान में समावेशी विकास की प्रमुख योजनाए–

समावेशी विकास दरअसल एक बहुआयामी अवधरणा है जिसका आग्रह है कि विकास की सामान्य प्रक्रिया में देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाए। समावेशी विकास में सामाजिक न्याय एवं समतामूलक विकास की रणनीतियों को सम्मिलित किया जाता है। समावेशी विकास वास्तव में विकास का वितरणात्मक ;क्पेजतपइनजपअमद्ध पहलू है। अतः राजस्थान में समावेशी विकास की प्रमुख योजनाऐं निम्न है–

कृषक ऋण माफी–

सहाकरी क्षेत्र के सभी श्रेणियों के सभी किसान लाभान्वित। 30 नवंबर 2018 तक बकाया संपूर्ण अल्पकालीन कृषि ऋणों की माफी। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंकों के रु200000 तक के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ। माफी से राज्य के लगभग 25 लाख किसानों को फायदा। इसके फलस्वरुप लगभग 400000 बीघा कृषि भूमि रहन मुक्त हो जाएगी।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना–

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के अंतर्गत सहकारी डेयरी पर दूध वितरण करने वाले किसानों को रु2 प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जाएगा। इसमें प्रवेश के आठ लाख किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना एक फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना–

राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। 1 मार्च 2019 से राज्य के बेरोजगार लड़कों को रु3000 तो लड़कियों को रु3500 मासिक भत्ता दिया जाएगा। अभी अक्षत योजना के तहत पुरूषों को 650 तथा महिलाओं को रु 750 बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हालांकि इस योजना से केवल 160000 युवा ही लाभान्वित होंगे जबकि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 500000 से भी अधिक है।

भैरोंसिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना–

राज्य सरकार के चालू बजट 2018–19 में 12 फरवरी, 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 50 हजार परिवारां को 50 हजार तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध करवाया जायेगा। अनुप्रति योजना के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा में 85 प्रतिशत प्राप्त करने पर लाभ।

देवनारायण योजना–

राज्य सरकार ने चालू बजट 2018–19 में 12 फरवरी, 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया। देवनारायण योजना में भर्तृहरि (अलवर) एवं आननपुरा (करौली) में 2 आवासीय विद्यालयों सहित 10 नवीन आवासीय विद्यालयों का तथा गुड़ामलानी (बाड़मेर) में एक छात्रावास का निर्माण करवाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में अंबेडकर भवन भी बनाए जाएंगे।

सुन्दर सिंह भण्डारी म्ठब् स्वरोजगार योजना–

राज्य सरकार ने चालू बजट 2018–19 में 12 फरवरी, 2018 को इस योजना का शुभारम्भ किया। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना ;ैनदकंत ैपदही ठींदकंतप ैूतवरहंत ल्वरंदंद्ध की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार म्बवदवउपबंससल ठंबूंतक ब्सें ;म्ठब्द्ध उम्मीदवारों को 50,000

रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। म्ववदवउपबंससल ठंबूंतक ब्सें ;म्ठब्द्ध उम्मीदवारों को यह ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना की घोषणा राजस्थान बजट 2018–19 मं की गई है।

अन्नूपर्णा दूध योजना–

राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को 2 जुलाई से पोषाहार के साथ दूध भी दिया जाएगा। राजकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के लिए अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को 150 एम.एल. व कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 एम. एल. दूध विद्यालयों में दिया जाएगा। दूध वितरण का प्रबंध विद्यालय प्रबंध समितियों के मार्गदर्शन में होगा। मिड–डे–मील के भोजन के दौरान, सप्ताह में छह दिन दोपहर का भोजन दिया जाता है। इस योजना के तहत दूध सप्ताह में तीन दिन दिया जाएगा। शहरी इलाकों में, गर्म दूध सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और ग्रामीण क्षेत्रों में, मंगलवार, गुरूवार और शनिवार या शहरी क्षेत्रों के समान प्रदान किया जाएगा। प्रार्थना सभा के बाद दूध वितरण किया जाना है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झुन्झुनू (राजस्थान) से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य टिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता को कम करना एवं प्रतिवर्ष अल्प वजनी बच्चों के प्रतिशत में कमी लाना है। इसका वित्त पोषण 50 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन द्वारा तथा 50 प्रतिशत आईबीआरडी द्वारा होगा। वर्ष 2017–18 में इस मिशन पर 9046.17 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केन्द्र तथा राज्यों/संघ क्षेत्रों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत सरकारी बजटीय समर्थन होगा।

चिराली साथ सदा के लिए (चिराली योजना)–

26 सितम्बर 2017 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जवाहर कला केन्द्र में इस योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत गांवों में महिला सुरक्षा के लिए वॉलीन्टियर्स लगाए जायेंगे। यह योजना महिला हिंसा की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की अभिनव पहल है। यह योजना समाज में महिलाओं की स्थिति सशक्त करने में अहम् होगी। योजना की शुरूआत 7 जिलों (बांसवाड़ा, बूंदी, जालौर, झालावाड़, नागौर तथा प्रतापगढ़) से की गई।

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना–2017

नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 10 मई से 10 जुलाई 2017 को यह अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शाहपुरा (जयपुर) नगरपालिका क्षत्र के 11 लाभार्थियों को पट्टे सौंपकर अभियान का शुभारम्भ किया। गाड़िया लौहार व घुमन्तु जातियों के लिए 50 वर्ग गज भूमि आवंटन निःशुल्क होगा।

मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना– 2017

7 जनवरी 2017 को झालावाड़ जिले की कंवरपुरा मंडवालान पंचायत समिति से शुरूआत की। लक्ष्य– गांवों को स्वच्छ, सुन्दर बनाना, गांवों में स्वच्छता का वातावरण पैदा करना। लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करना ठोस कचरे के प्रबन्धन से पुनः प्रयोग में लेने योग्य सामग्री बनाना है।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 7 फरवरी 2019 को जयपुर जिले के सिरसी गाँव में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना– 2019 का शुभारम्भ किया वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 फरवरी, 2019 को जालौर जिले सांचौर कस्बे में इस योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत सरकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले पात्र सीमान्त एवं लघु किसानों को 2 लाख रूपये तक अवधिपार मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण माफ किये जायेंगे। प्रदेश में पहली बार सरकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र सीमान्त, लघु एवं अन्य किसानों का अल्पकालीन फसली ऋण पूरी तरह माफ। पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2019 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ। योजना के पात्र किसानों के लिये ऋण माफी प्रमाण–पत्र वितरण शिविरों का 7 फरवरी, 2019 से शुभारम्भ। पात्र किसान की ऋण माफी की पारदर्शी व्यवस्था किसान को ऋण माफी राशि के सत्यापन के संबंध में मिलेगी पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस द्वारा सूचना। किसान संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति पर जाये और ऋण माफी राशि सही होने पर सहमति प्रदान करे अन्यथा असहमति दर्ज कराये। किसान ऋण माफी राशि से सन्तुष्ट होने पर नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर अपना आधार आधारित आवेदन एवं अधि प्रमाणन कर। पात्र किसान को शिविर में मिलेगा ऋण माफी प्रमाण–पत्र। सहाकरी बैकों से जुडे किसान "कृषक ऋण माफी, 2019" के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा से सम्पर्क करें।

इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2019–

बेटियों को दिया जाने वाला पद्मश्री पुरस्कार के स्थान पर अब इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से नाम से दिया जायेगा। शिक्षा मंत्री ने बालिका दिवस पर 24 जनवरी 2019 को कक्षा 8, 10 एवं 12 की परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। 12वीं में तीनों संकायों में अलग–अलग टॉप रहने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिया जायेगा। पहले तीनों संकाय में टॉप रहने वाली एक ही छात्रा को पुरस्कार मिलता था। पुरस्कारों के तहत 8वीं परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 40 हजार, कक्षा 10 में 75 हजार व 12वीं में एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

इट्रेक्टिव स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम–

इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2019 को हुई। निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा सभी सरकारी, निजी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों मे भावी मतदाताओं (15–17 आयु वर्ग के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं) को निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ते हुए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील बनाना है। ताकि 18 वर्ष की आयु पूरी होते ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सके।

प्रतियोगिता दक्षता योजना– 2019

12 जनवरी 2019 को उच्च शिक्षा भंवरसिंह भाटी ने शिक्षा संकुल राजस्थान संगीत संस्थान बने ई–स्टूडियों में राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं सहायतार्थ प्रारम्भ कोचिंग क्लासेज प्रतियोगिता दक्षता का शुभारम्भ किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में राज्य के 40 महाविद्यालयों में ई–कक्षा और ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से लाइव प्रसारण के जरिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके बार राज्य के सभी 252 महाविद्यालयों में इसे चरणबद्ध लागू किया जायेगा।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (चौथा चरण)

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 26 जनवरी 2016 को जल स्वावलम्बन अभियान का शुभारम्भ झालावाड़ जिले के गाँव गर्दन खेड़ी से किया। प्रथम चरणः 27 जनवरी से 30 जून 2016 तक। यह संकल्पना में प्रयुक्त जल संरक्षण की योजना में ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध अपवहन का संचयन (वर्षा जल, भूजल, भूमिगत जल और मिट्टी सभी) जल ग्रहण उचित उपयोग नवीनीकरण और नए जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है। इस योजना के स्थायी उपायों के माध्यम से पीने के पानी के लिए गाँव को आत्मनिर्भर बनाना, सिंचित और उपजाऊ क्षेत्रों में वृद्धि करके फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में किसी भी राशि का दान करने अपना योगदान दे सकता है। योजना के प्रथम चरण में 295 पंचायत समितियों के 3 हजार 529 गाँवों का चयन किया गया। द्वितीय चरणः 9 दिसम्बर 2016 से शुरू (झालावाड़ जिले की झालरापाटन तहसील के देवरी और बारां जिले के तुलसा गाँव से शुरू किया। इस चरण में 4200 गाँव शामिल किए गए। इसके अतिरिक्त 66 शहरों (प्रत्येक जिले के 2) को शामिल किया गया है। तृतीय चरणः 9 दिसम्बर 2017 व 20 जनवरी 2018 के लिए रेगिस्तान और गैर–रेगिस्तानी जिलों के लिए कार्य योजना बनाई। चौथा चरणः 3 अक्टूबर 2018 को चौथा चरण शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राज्य कृषि प्रबंध दुर्गापुरा में जल स्वावलम्बन की चतुर्थ चरण प्रारम्भ किया। इस चरण में 33 जिलों की सभी 295 पंचायत समितियों में लगभग 4000 गाँवों का चयन किया है।

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना–2018–

6 अक्टूबर 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाएगा। इस योजना के तहत एक दिन में बच्चों को 15 ग्राम व गर्भवती को 19 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर मिलेगा।

भामाशाह डिजिटल परिवार योजना–

इसका शुभारम्भ– 4 सितम्बर, 2018 को हुआ। जयपुर में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में इस योजना का उद्घाटन किया। लाभार्थी– इस योजना के तहत राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले परिवारों को मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक हजार रूपए की वित्तीय सहायता देगी। विशेष– मोबाइल कितने का भी लिया जा सकता है। सरकार एक हजार की सहायता दो किश्तों में (500–500) पहली किस्त– 500 रूपये नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए दिए जायेंगे तथा दूसरी किस्त– 500 रूपये इंटरनेट कनेक्शन के लिए दिए जायेंगे। पात्रता– राजस्थान का निवासी होना चाहिए और भामाशाह कार्ड होना चाहिए।

लखवाड़ परियोजना–

28 अगस्त 2018 को केन्द्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री नितिन गड़करी की उपस्थिति में छः राज्यों (राजस्थान, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली) क मुख्यमंत्रियों ने अपर यमुना बेसिन पर यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ बहुउद्देशीय अन्तरराज्यीय परियोजना में यमुना जल बँटवारे पर एमओयू किया। इस परियोजना से राजस्थान के चूरू, झुन्झुनूँ व सीकर जिले लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के तहत उत्तराखण्ड में देहरादून जिले के लाहोरी गाँव के निकट यमुना नदी पर 204 मीटर ऊँचा कंक्रीट का बाँध बनाया जाएगा। जिसकी जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा तथा 33,780 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना पर 3966.51 करोड़ रूपये की लागत आएगी। परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने की व्यवस्था वाले हिस्से में कुल 2578.23 करोड़ का व्यय का 90 प्रतिशत राशि छः राज्यों द्वारा देय होगी। इस राजस्थान को 24.08 करोड़ रूपये देने होंगे। इस परियोजना में संग्रहित जल बँटवारा छः राज्यों के बीच 12 मई 1994 को किये गय समझौता ज्ञापन के अनुसार होगा।

सौर ऊर्जा चलित पनघट योजना–2018–

राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री ने 10 मार्च, 2018 को राजसमन्द जिले की गिलूण्ड ग्राम पंचायत के मालीखेड़ा गाँव में 8 लाख की लागत से नवस्थापित और ऊर्जा चलित पनघट योजना का उद्घाटन किया। सौर ऊर्जा चलित पनघट योजना के लिए जलदाय विभाग के एक 5000 लीटर क्षमता की टंकी रखवाई है। इसमें सौर ऊर्जा चलित सिस्टम स्थापित किया है। पनघट योजना पर बैटरी रहित सौर ऊर्जा की प्लेट्स लगाई है जो सूर्योदय के साथ चालू तथा सूर्यास्त के साथ बन्द हो जाती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 मार्च, 2018 को झुन्झुनूं (राजस्थान) से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शेष सभी स्थानों पर लागू किया। यह अभियान देश के 714 नए जिलों में शुरू किया। यह अभियान 22 जनवरी 2015 को देश के 100 जिलों में शुरू किया गया। फिर इसमें 61 जिलों को शामिल किया गया। अर्थात् अभी यह देश के 161 जिलों में चल रहा था। बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं मिशन के पहले चरण में झुन्झुनूं लिंगानुपात वृद्धि के मामले में राजस्थान में सबसे आगे रहा। इसलिए झुन्झुनूं जिल का चयन किया गया। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त करना और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिकाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। यह योजना राजस्थान में 10 जिलों (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुन्झुनूं, जयपुर, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर और श्रीगंगानगर) में संचालित की जा रही है। योजना के द्वितीय चरण में चार नये जिलों (जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, टोंक) को जोड़ा गया।

स्वजल पायलट परियोजना–

केन्द्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्री ने राजस्थान के करौली जिले के भीकमपुरा गाँव में 27 फरवरी 2018 को स्वजल पायलट परियोजना का शुभारम्भ किया। इस परियोजना की लागत राशि 54.17 लाख से अधिक है। यह परियोजना सतत पेयजल आपूर्ति हेतु समुदाय के स्वामित्व वाला पेयजल कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत खर्च का वहन सरकार करेगी तथा शेष 10 प्रतिशत व्यय समुदाय के योगदान से किया जाएगा। इस परियोजना के परिचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों की होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना– 2017–

18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बाँसवाड़ा से इस योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत राज्य में 6.75 लाख परिवादों को दो वर्षों में रहने के लिए अपना स्वयं का मकान मिलेगा। ये आवास दो साल में बनेंगे। इस पर 8425 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत 2022 तक हर गरीब व्यक्ति को अपना पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रूपये दिए जायेंगे। इनमें 1.20 लाख रूपये नकद, मनरेगा से मजदूरी के रूप में 17 हजार 280 तथा शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रूपए दिए जायेंगे। इस योजना में 60 प्रतिशत पैसा केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। गरीबां को आश्रय देने की इस योजना में जनजाति क्षेत्र पर विशेष फोकस रखा गया है। दो वर्षों में 2746 करोड़ रूपये की लागत से इस क्षेत्र में 2.20 लाख मकान बनेंगे। इस योजना में अपने मकान का डिजायन व्यक्ति खुद तय कर सकता है यदि अपना घर व्यक्ति खुद बनाना चाहे तो उसे चिनाई का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिससे वह अपने घर में ही रोजगार प्राप्त कर सकता है। आवास एप के माध्यम से आवास से संबंधित सारी जानकारी व्यक्ति ले सकता है। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस के उद्देश्य से शत–प्रतिशत पैसा गरीब व्यक्ति के बैंक खाते में जमा होगा। जहाँ मकान बनाये जायेंगे ताकि मकानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके।

राहत चिकित्सा योजना–

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 25 फरवरी 2017 को राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम (राहत) का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम का आरम्भ जयपुर के इंटरनल हार्ट केयर सेंटर द्वारा किया गया। राहत परियोजना एक टेली मेडिसीन परियोजना है जिसके तहत राजस्थान और आस–पास के 60 किलोमीटर के दायरे में हार्ट अटैक के मरीज को स्पोक सेंटर पर जाँच के बाद तत्काल हॉस्पिटल के हब में उपचार के लिए रैफर कर दिया जाएगा। टेली मेडिसन राहत परियोजना के तहत जयपुर में चार स्पोक सेंटर बनाए जा रहे हैं। दो स्पोक सेंटर दौसा और दूसरे बगरू में बनाये जा रहे है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना–

1 जून 2016 को बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए शुभलक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू की गई। इस योजना में 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर तथा जो सरकारी अस्पतालों और पंजीकृत अस्पतालों में पैदा हुई है के शिक्षा के लिए 6 चरणों में 50,000 का भुगतान करेगी। इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थी को भामाशाह कार्ड अनिवार्य है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 2500 रू., टीकाकरण के लिए 1 वर्ष के 2500 रू., प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए 4,000 रू., कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 5,000 रू., कक्षा 10 में प्रवेश के लिए 11,000 रू. तथा 12वीं पास करने पर 25,000 रूपये दिए जाएंगे।

मिड–डे–मील योजना (एम.डी.एम.एस.)–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुल 68,685 राजकीय विद्यालयों, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, अनुदानित विद्यालयों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर (ए.आई.ई. सेन्टर, शिक्षा गारण्टी केन्द्रो, एन.सी.एल.पी. सेन्टर) तथा मदरसों में कक्षा– 1 से 8 तक के बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार करना, नामांकन में वृद्धि करना एवं नियमित उपस्थिति में सुधार करना तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत कक्षा– 1 से 8 तक के लगभग 62.79 लाख विद्यार्थियों (कक्षा–1 से 5 तक के 40.58 लाख तथा कक्षा–6 से 8 तक के 22.21 लाख विद्यार्थी) को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा– 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन एवं कक्षा– 7 से 8 तक के विद्यार्थियो के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। मिड–डे–मिल योजना के अन्तर्गत कक्षा–1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन एवं कक्षा– 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को न्यूनतम 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मिड–डे–मील योजनान्तर्गत 'उत्सव भोज' के नाम से एक योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति– पूर्ण भोजन, मिठाई, कच्चा माल, उपकरण, बर्तन आदि अपने सामाजिक उत्सव जैसे– जन्म दिन, जन्म उत्सव, विवाह, विवाह वर्षगांठ आदि पर उपलब्ध करवा सकता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना– 2015

इसका शुभारम्भ 19 फरवरी, 2015 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूरतगढ़ (गंगानगर में) इस योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना का उद्देश्य देशभर में भूमि के स्वास्थ्य की जांच तकनीक विकसित कर उसकी उर्वरा क्षमता बढ़ाने के नवाचारों को प्रोत्साहन देना है।

जयपुर मेट्रो योजना–2015

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज–1ए (मानसरोवर से चाँदपोल) का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इसका व्यावसायिक संचालन दिनांक 03 जून, 2015 से प्रारम्भ किया जा चुका है। जयपुर मेट्रो फेज– 1बी (चाँदपोल से बड़ी चौपड़) जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा सहायता प्राप्त है। इसकी परियोजना लागत रू. 1,126.00 करोड़ है, जिसके पेटे रू. 969.00 करोड़ का ए.डी.बी. से ऋण तथा राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता रू.157.00 करोड़ है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर शहर में वृहद् तीव्र यातायात प्रणाली में सुधार लाना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–

यह मिशन भारत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को प्रारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य महात्मा गाँधी की 150 वीं जंयती 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है। बजट सत्र, 2014 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा राजस्थान राज्य को मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने की घोषणा की गयी थी। वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान शौचालय निर्माण में राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है। खुले में शौच से मुक्त जिला बीकानेर एवं अजमेर को इन्डोसेन कॉन्फ्रेस, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कुल 9,891 ग्राम पंचायतों में से 8,445 खुले में शौच मुक्त हो चुकी है। राज्य के 6 जिले– बीकानेर, अजमेर, चुरू, पाली, झुन्झुनूं व चित्तौड़गढ़ खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं एवं 15 जिलों (हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, सवाईमाधोपुर, बूँदी, सिरोही व धौलपुर) में

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का कार्य भी शत–प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले, अनुसूचित जाति/जनजाति छोटे एवं सीमान्त कृषकों, विकलांग इत्यादि को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की एक इकाई के निर्माण और उपयोग करने पर 12,000 तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस प्रोत्साहन में केन्द्रीय हिस्सा 60 प्रतिशत है जबकि राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत है। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख रूपये का प्रावधान है इनमें केन्द्र सरकार राज्य सरकार और समुदाय के बीच साझाकरण पैटर्न 60:30:10 के अनुसार है। ठोस और तरल अपशिष्ट के लिए ग्राम पंचायतों को 7 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना–

स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना चरणबद्ध रूप में लागू की गयी है। यह योजना सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मौजूदा प्रयोगशालाओं और जाँच सुविधाओं को मजबूत करने व सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों को आवश्यक जाँच सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मई 2018 में राज्य सरकार ने निःशुल्क योजना का दायरा बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों सहित जिला अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी जाँच संख्या बढ़ा दी है। अब मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में 70 की जगह 90, जिला व समकक्ष अस्पतालों में 56 से बढ़ाकर 71, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 से 44 पीएचसी में 15 से 36 किया जाएगा। प्रदेश में रोजाना 60 हजार मरीजों की करीब डेढ़ लाख निःशुल्क जाँच की जा रही है।

अनुप्रति योजना–

यह योजना प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यार्थियों के लिए है। इस योजना में प्रत्येक अभ्यर्थी को आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक लाख रूपये की राशि, राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रूपये की राशि तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर 40 से 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति के उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करके राजकीय इंजीनियरिंग/मेडीकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को 10 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान है। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवास हो। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित), सामान्य वर्ग बी.पी.एल. (स्टेट बी.पी.एल. सहित) परिवार का सदस्य हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों को वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हैं तो) 2.50 लाख से अधिक न हो।

सर्व शिक्षा अभियान–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन में जन सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग अन्तराल कम करने से सम्बन्धित गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान–

केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से कुछ कार्यक्रम जैसे स्वामी विवेकानन्द मॉडल, शारदे गर्ल्स हॉस्टल, सिविल वर्क, छात्रवृत्ति, निःशुल्क लेटटॉप वितरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना–

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी स्तर पर विदेश में शोध करने हेतु 25 लाख रूपये की सहायता दी जाती है। इस याजना के तहत विज्ञापन जारी होने की तिथि पर उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। पूरे परिवार के सभी स्त्रोतों से अर्जित आय 6 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अम्बेडकर फैलोशिप स्कीम–

इस योजना के अन्तर्गत पो.एच.डी. स्तर पर देश में शोध के लिए एससी श्रेणी के प्रतिभाशाली छात्रों को 5.40 लाख रूपये का योगदान दिया जायेगा। इस योजना के तहत उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी हो तथा उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए व परिवार की अर्जित आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इन्दिरा आवास योजना–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति, विमुक्त बन्धुआ मजदूर व ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के लिए आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायता–अनुदान प्रदान करना है। कोष का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के नीचे जीवनयापन करने वाले दिव्यांगों के लिए तथा 13 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के जिए आरक्षित रखा गया है। परिवार की महिला सदस्य अथवा पति–पत्नी के संयुक्त नाम से सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। कम से कम 60 प्रतिशत राशि आवास निर्माण हेतु उपयोग में लेना आवश्यक है। स्वच्छ शौचालय व धुआँ रहित चूल्हा इस योजना का आवश्यक भाग है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)–

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार में जिनमें वयस्क अकुशल मैनुअल काम करते है में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने ग्रामीण परिवारों में आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन–

इसकी शुरुआत जून 2015 में हुई इस मिशन का उद्देश्य शहरों के नागरिकों को एक स्वच्छ और दीर्घकालिक पर्यावरण और स्मार्ट समाधान के साथ उच्च जीवन स्तर को बढ़ाना है। राजस्थान में कुल 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है।

अमृत मिशन–

इसकी शुरुआत 8 जून, 2015 पुनर्जीवन व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। राजस्थान के 29 शहरों को चयन अमृत मिशन के तहत किया है ये शहर है– अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बूँदी, सुजानगढ़, धौलपुर, गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, झुन्झुनूं, बारां, किशनगढ़, हिण्डौन सिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और झालावाड़ है।

क्लिक योजना (कम्प्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉन कॉम्प्रिहेसिव नॉलेज)–

यह योजना प्रदेश में राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर में दक्ष करने के लिए शुरू की गई। विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की इस महत्वाकांक्षी योजना का संचालन राज्य के विद्यालयों के विकास के लिए बनी विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के माध्यम से स्ववित्त पोषित योजना के रूप में होगा। योजना की क्रियान्विति स्थिति, गुणवत्ता आदि की सुनिश्चितता के लिए समितियाँ गठित की जाएगी।

राष्ट्रीय आयुष मिशन–

आयुष मन्त्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य में राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी का दिनांक 12.03.2015 को गठन कर राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यालय की स्थापना की गई। राज्य में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने एवं फामा सेक्टर को पर्याप्त मात्रा में आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराने के साथ–साथ अन्य उद्देश्यों हेतु भारत सरकार द्वारा यह कार्यक्रम वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ किया गया है। यह मिशन प्रारम्भ से ही राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2017–18 में कृषकों को औषधीय पौधों की खेती पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए रू.3.47 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार ने इस मिशन का नया नाम राष्ट्रीय आयुष मिशन रखा है। राज्य में इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए आयुष विभाग का नोडल विभाग बनाया गया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)–

राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली जालौर, बाड़मेर, नागौर, बाँसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाडा, बून्दी, झुन्झुनूं, सिरोही, जैसलमेर एवं गंगानगर में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा– फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। इस योजना में वर्ष 2017–18 में रू.70.83 करोड़ (रू.42.50 करोड़ केन्द्रीय अंश तथा रू.28.33 करोड़ राज्यांश के रूप में) की एक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस मिशन के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक रू.49.44 करोड़ (रू.29.66 करोड़ केन्द्रीय अंश्ख तथा रू.19.78 करोड़ राज्यांश के रूप में) व्यय किए गए हैं।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ–

1. अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो।
2. अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता /पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो।
3. विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी /संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक हो।
5. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक एक लाख रूपये तक हो।
6. डॉ. अम्बेडकर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो। पाठ्यक्रम के अनुसार देय केवल अनुरक्षण भत्ता देय है।
7. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना– छात्र–छात्रा के माता–पिता/ पति–पत्नी/संरक्षक की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से कम हो। केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्कों का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत।

समावेशी विकास एवं वित्तीय समावेशन–

समावेशी विकास की अवधरणा आर्थिक वृ(ि में समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर समान अवसरों एवं सहभागिता को सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास सूक्ष्म–अर्थशास्त्रा एवं वृहत–अर्थशास्त्रा के बीच प्रत्यक्ष अन्तरसंबंधें को निर्मित करता है। जहाँ सूक्ष्म–अर्थशास्त्रा ;डपबतव.मबवदवउपबेद्ध संरचनात्मक रूपांतरण के लिए आर्थिक–विभिन्नीकरण एवं प्रतिस्पर्ध को महत्त्व देता है, वहीं वृहत–अर्थशास्त्रा ;डंबतव.मबवदवउपबेद्ध देश के सकल घरेलू उत्पाद ;ळक्च्द्ध या सकल राष्ट्रीय उत्पाद ;ळछच्द्ध पर ध्यान केन्द्रित करता है।

विश्वभर में आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की नीतियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1961 में स्थापित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ;व्म्ब्.व्तहंदप्रंजपवद वित म्बवदवउपब ब्.वचमतंजपवद ंदक क्मअमसवचउमदजद्ध ने समावेशी विकास को महत्त्वपूर्ण बताया है। ओ.ई.सी.डी. द्वारा पफोर्ड पफाउण्डेशन के सहयोग से समावेशी विकास प्रोजेक्ट ;प्दबसनेपअम ळतवूजी च्तवरमबजद्ध प्रारम्भ किया है, जो आर्थिक चुनौतियों के नए उपागम ;छ।म्ब्छमू ।चचतवंबी जव म्बवदवउपब बैंससमदहमेद्ध का एक अंग है। इस प्रोजेक्ट को दो भागों में बाँटकर चलाया जा रहा है– ;1द्ध अवधरणा एवं मापन ;ब्वदबमचज ंदक डमेंनतमउमदजद्ध एवं ;2द्ध क्रियान्वयन ;प्उचसमउमदजंजपवदद्ध।

एशियाई विकास बैंक ;।क्ठ. ।पंद क्मअमसवचउमदज ठंदाद्ध ने समावेशी वृ(ि के तीन पक्षों के आधर पर त्रिस्तरीय नीति स्तम्भ ;जीतमम च्वसपबल च्पससंतेद्ध का निर्माण किया है–

1. आर्थिक वृ(ि– उच्च–प्रभावी एवं टिकाऊ वृ(ि ;म्बवदवउपब ळतवूजीरू भ्पहीए मिपिबपमदज ंदक ैनेजंपदमक ळतवूजीद्ध
2. संस्थागत विकास– सामाजिक समावेशन ;प्देजपजनजपवदंस क्मअमसवचउमदजरू ैवबपंस प्दबसनेपवदद्ध।
3. सामाजिक सुरक्षाः समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण ;ैवबपंस ैंमिजल च्तवजमबजपवदद्ध।

समावेशी विकास के इस नीति स्तम्भ को सुशासन ;ळववक ळवअमतदंदबमद्ध एवं सरकारी और गैर–सरकारी संस्थाओं से सहयोग एवं सम्बल मिलना आवश्यक है, तभी समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित पइंडिया डेवलपमेंट रिपोर्टश् के अनुसार आर्थिक विकास में समावेशी स्वरुप का मूल्यांकन आर्थिक लाभों के वितरण के साथ–साथ सशक्तिकरण, सुरक्षा, सहभागिता जैसे कारकों के आधर पर किया जाता है। किसी विकास को समावेशी तब माना जाता है जब विकास के साथ–साथ सामाजिक अवसरों का भी समान वितरण हो। इस प्रकार समावेशी विकास के तीन लक्षण या शर्तें बताई गई हैं–

1. सेवाओं एवं मूल्यों का समान वितरण
2. अवसरों की समानतामूलक उपलब्ध्ता
3. विकास द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का सशक्तिकरण।

समावेशी विकास की समग्र अवधरणा सामाजिक बदलाव एवं सामाजिक प्रगति का कारक भी है। लेकिन कई क्षेत्रा इस प्रक्रिया से दूर हं। अपने देश की जरूरतों के मुताबिक इन क्षेत्राों में विशेष प्रयास की जरूरत है। समावेशी विकास के प्रमुख घटक हैं–

- आधरभूत संरचना– सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सिंचाई इत्यादि।
- रोजगार सृजन– मनरेगा को मजबूत बनाने की आवश्यकता।

- सूचना प्रौद्योगिकी की सुदूरवर्ती क्षेत्राों तक पहुंच बनाना।
- कमजोर वर्गों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण।

समावेशी एवं त्वरित विकास के लिए सुझाव–

देश में सुस्थिर केन्द्रीय सरकार तथा स्थापित राजनीतिक माहौल नए और बड़े पफैसले करने की दृष्टि से जरूरी होता है। भारत के लिए सतत और उच्च समावेशी विकास की राह प्रशस्त करने के मद्देनजर दस बड़े विचार एवं सुझाव निम्नलिखित हो सकते हैं–

1. नकद हस्तांतरण– मौजूदा सभी घरेलू और व्यक्तिगत लक्षित सब्सिडी खत्म की जानी चाहिए। इनमें खाद्य सब्सिडी भी शामिल है। इनके स्थान पर सशर्त नकद हस्तांतरण योजना शुरू की जानी चाहिए। नकद राशि लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा कराई जाए। लाभार्थी परिवार की पात्राता यह हो कि उसके 16 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल में शिक्षा ले रहे हों। यह सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना क्रियान्वित होने के पश्चात मनरगा जैसी योजनाओं को खत्म कर दिया जाए।

2. श्रम कल्याण कोष– श्रम बाजार अध्कितम लोच वाला या गतिशील हो। इसके लिए श्रम कल्याण कोष ;जिसमें नियोक्ता और सरकार बराबर का योगदान करेंद्ध बनाया जाए। यह कोष थोड़े समय की बेरोजगारी की स्थिति में और श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण के लिए ध्न जुटाएगा। गरीबी के खात्मे के लिए यह उपाय जरूरी है क्योंकि केवल अनुदान से ही समस्या हल नहीं होगी। हमें आगामी दस वर्षों में दो करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा करने हैं। ये अवसर हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों और परिधनों का बड़े पैमाने पर निर्माण, हस्तशिल्प, पर्यटन जैसे श्रमोन्मुखी क्षेत्राों का विकास करके पैदा किए जा सकते हैं। श्रम क्षेत्रा में गतिशीलता होगी तभी हम इन क्षेत्राों में उद्यमों का विकास कर सकेंगे।

3. रेलवे का कायाकल्प– समय आ गया है कि भारतीय रेलवे में जान पफूंकी जाए। इसके एकाध्किार को तोड़ा जाए। इसे छोटी, कुशल और स्वतंत्रा क्षेत्राीय इकाइयों में विभक्त करके ऐसा किया जा सकता है। अस्पताल, स्कूल और कैटरिंग जैसे इसके सहायक कार्यों का कॉर्पोरेटीकरण किया जाना चाहिए और रेलवे बोर्ड को पूर्णतः नीति–निर्धरक निकाय के रुप में बदल दिया जाए। कापफी समय पहले ही ऐसा कर दिया जाना चाहिए था। ऐसा किया जाता है, तो माल–वहन और यात्राी–वहन में रेलवे के योगदान में गिरते रूझान को थामा जा सकता है।

4. इंस्पेक्टर राज का उन्मूलन– विनिर्माण क्षेत्रा खासकर लघु एवं मध्यम उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से यह जरूरी है कि 200 से कम कामगार वाली यूनिटों का पफैक्ट्री एक्ट के तहत निरीक्षण करने वाला प्रावधन समाप्त किया जाना चाहिए। इन यूनिटों को इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाकर ही बड़े पैमाने पर औद्योगिकोकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

5. उत्तर प्रदेश का विभाजन– उत्तर प्रदेश का चार हिस्सों में विभाजन अब तक कर दिया जाना चाहिए था। राज्य की आबादी ज्यादा है। अतः इसका प्रशासन कुशलता से नहीं चल पाता। प्रदेश के चार अंचलों में इस कदर अंतर है कि उनके लिए नीति–निर्माण असंभव नहीं तो बेहद कठिन जरूर है। प्रदेश को चार हिस्सों–पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटा जाना चाहिए। ऐसा करना प्रशासनिक कुशलता की दिशा में उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम होगा। अन्य छोटे राज्यों के उदाहरणों से देखें तो उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य–विभाजन से बेहतर आर्थिक नतीजे हासिल होंगे।

6. बड़ी परियोजनाएं– भारत को नए विकास स्तम्भों की दरकार है। ऐसे स्मारक गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित कल्पासागर प्रोजेक्ट सरीखे हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत खंभात की खाड़ी के चारों तरपफ 64 किमी. का बांध बनाया जा रहा है। इसके तहत दो नदियों–घोघा और हसनोट को जोड़ा जाएगा। इस प्रकार 2,000 वर्ग मील क्षेत्रा में पफैली ताजे पानी की झील बनाई जा सकेगी। इससे 5,880 मेगावॉट ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। साथ ही, दक्षिणी सौराष्ट्र के 10.5 लाख हेक्टेयर भूक्षेत्रा में सिंचाई की सहूलियत मिलेगी। इस प्रकार के मेगा प्रोजेक्ट राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

7. एयर इंडिया तथा सार्वजनिक क्षेत्रा के सभी होटलों की बिक्री– एयर इंडिया तथा केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या एजेंसियो के स्वामित्व और प्रबंध्न वाले सभी होटलों का निजीकरण किया जाए। इनकी वित्तीय समस्याओं को देखते हुए इन्हें संकट से निजात दिला पाना हमारे लिए मुश्किल है। इन्हें बेचने से सार्वजनिक क्षेत्रा के अन्य उपक्रमों को कड़ा संदेश जाएगा कि उन्हें अपने पर लगाई गई पूंजी का कम से कम दस प्रतिशत तो कमाना ही है। इससे राजस्व घाटे को शून्य पर लाने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य को पूरा करना अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने जैसा होगा, जिसकी अभी बेहत जरूरत है।

8. स्वास्थ्य क्षेत्रा में पीपीपी मॉडल– स्वास्थ्य क्षेत्रा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ;च्च्द्ध मॉडल शुरू किया जाए। इसके लिए कुछ नियमन एवं नियंत्राण करना होगा। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हर दिन सरकारी नियमों के

अनुसार कुछ निश्चित संख्या में रोगियों को स्वास्थ्य सुविधएं मुहैया कराई जाएं। तत्पश्चात् इन केन्द्रों के परिसरों को डॉक्टरों को कुछ तय घंटों के लिए हर दिन उन रोगियों का उपचार करने में इस्तेमाल करने की छूट मिले जो उनकी पफीस देने की क्षमता रखते हों। यह मॉडल जिला अस्पतालों के विशु(व्यावसायीकरण से मुक्ति दिलाएगा तथा दूसरी तरपफ सरकारी अस्पतालों में गरीब रोगियां को भी समुचित इलाज मुहैया हो सकेगा।

9. एकल खिड़की योजना– निवेशकों को तमाम औपचारिकताओं और स्वीकृतियों के पहाड़ से छुटकारा दिलाना चाहिए। वर्तमान में किसी उद्यम को स्थापित करने में करीब 70 औपचारिकताएं ;स्वीकृतियांद्ध पूरी करनी होती हैं। इन औपचारिकताओं को एक बार में ही पूरा किया जा सकता है। यह अकेला उपाय हो 'सिंगल विंडो क्लीरियेंस' को स्थापित कर सकता है और यह मात्रा नारा भर नहीं रह पाएगा। ध्यान रखना होगा कि विनिर्माण क्षेत्रा में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से विकास नहीं किया गया तो गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता। विनिर्माण क्षेत्रा में विकास की अनिवार्य शर्त ह कि निवेश के लिए माहौल उत्साहजनक हो।

10. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सब्सिडी की समीक्षा– खाद्य जिंसो और अन्य चुनिंदा पफसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की समीक्षा आवश्यक है। पंजाब में खेती के लिए पानी की कमी के बावजूद किसान धन की पफसल लेने पर आमादा है। यह प्रणाली ऊंचे दाम वाली पफसलों को प्रोत्साहन देने में नाकाम रही है। कृषि को इसने ऊंची लागत वाला क्षेत्रा बना दिया है और तकनीक उन्नयन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। भारतीय किसान को उसकी उद्यमशीलता के पफायदे मिलने चाहिए। कृषि क्षेत्रा में खास पफायदा होगा बशर्ते उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर से तमाम सब्सिडी हटा ली जाएं, जिनके चलते भूमि का बड़े स्तर पर क्षरण हुआ है और खाद्य उत्पादों में विषैले तत्वों का स्तर बढ़ गया है।

11. समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय सहमति होनी चाहिए।

12. समावेशी विकास एवं तीव्र विकास के लिए च्च्च् ;पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपद्ध मॉडल अध्कि उपयुक्त है।

13. सरकार को ध्न के लिए घरेलू तथा विदेशी दोनों स्रोतों से निवेश को लाना चाहित तथा अनुत्पादक कार्यों पर ध्न के अपव्यय को रोकना चाहिए।

शोध महत्त्व–

समावेशी विकास, विकास का ऐसा मॉडल है। जिसमं सर्वाध्कि कमजोर एवं गरीब व्यक्तियों और सर्वाध्कि पिछड़े क्षेत्राों को प्रमुखता प्रदान करते हुए समग्र विकास पर बल दिया जाता है। फ्समावेशी विकासय विकास का वह प्रारुप है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास का गुणात्मक एवं मात्राात्मक लाभ सभी क्षेत्राों के सभी लोगों को हो। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति और देश के दूर–दराज क्षेत्राों में रहने वाले लोगों का विकास सुनिश्चित करना है। उच्च आर्थिक विकास दर अपने में यह सुनिश्चित नहीं करती है कि समावेशी विकास है। समावेशी विकास में लक्षित वर्ग ग्रामीण एवं शहरी गरबो तथा कमजोर वर्ग हैं जिसमें भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त तथा छोटे किसान, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर तथा निर्ध्न, रिक्शा चालक इत्यादि शामिल है, जो आर्थिक विकास की सामान्य प्रक्रिया में कम लाभान्वित होते है, परन्तु 'समावेशी विकास' में समाज के सभी वर्ग, सभी क्षेत्रा, स्त्राी तथा बच्चे बिना किसी भेदभाव के लाभान्वित होते हैं।

निष्कर्ष–

निष्कर्षथः यह कहा जा सकता है कि फ्समावेशी विकासय एक व्यापक एवं बहुआयामी अवधरणा है इसमें समतामूलक विकास, संतुलित क्षेत्राीय विकास तथा समग्र आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह वह विकास जिसके माध्यम से विभिन्न वर्गों, विविध् क्षेत्राों, विविध् प्रदेशों तथा महिला–पुरूष तथा सभी वर्गों एवं जातियों के विकास हेतु समन्वित रणनीति बनाई एवं अपनाई जाती है। समावेशी विकास के माध्यम से एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है जिससे विकास का लाभ समाज के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तथा देश के दूर–दराज के इलाकों तक पहुँचे। आज लोकतांत्रिाक सरकारों के युग में फ्समावेशी विकासय ही देश के सर्वांगीण विकास की आधरशिला बन सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ–

- जैन आर.बी., फ्भारत मे सुशासन हेतु प्रयासश् योजना, मार्च, 2014
- ज्ञवजींतपए त्रंदपए ष्त्नतंस क्मअमसवचउमदजए ष्नमे ंदक च्मतेचमबजपअमे ।कउपदपेजतंजपअम बेंदहम टवसण 16 ।नहनेजए 1978ण
- डंजीनतए डण्ठण्ए फ्पंचायती राज इन राजस्थान ए केस स्टडी इन जयपुर डिस्टिक्ट्रिटश्, नई दिल्ली–1965.
- महल अजय, फ्भारत में सबके लिए स्वास्थ्य, सुविधऐं, संसाध्न उपयोग एवं नीति मानदण्डश् योजना, पफरवरी, 2014
- मायरा अरुण, फ्सतत् प्रगति की रणनीतियांश् योजना, पफरवरी, 2014
- रामका, नाथूराम, लक्ष्मीनारायण, फ्भारतीय अर्थव्यवस्था : बदलता परिदृश्यश् प्रतियोगिता दृष्टि, प्रकाशन, जयपुर 2019–20
- त्पजहोसच भ्त्ण्ए फ्विलेज गवर्नमेंट इन इण्डियाश्, एशिया पब्लिसिंग हाउस, 1962.
- त्ंजीवतम डण्ैण्ए ष्न्दअपतवदउमदज ंदक क्मअमसवचउमदजष् ट्रंज च्नइसपबंजपवदे श्रंपचनत ;त्ंरण्द्ध
- ींतउं ळण्स्ण्ए फ्सामाजिक मुद्देश्, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर ;राज.द्ध पृ.सं. 79.
- शर्मा जी.एल., फ्सेल्पफ हेल्प ग्रुप एंड सोश्यो–इकोनॉमिक डवलपमेंट इन रुरल इंडियाश् रिव्यू जर्नल ऑपफ पिफलोसोपफी एंड सोशियल साइंस, वाल्यूम–36, स्पेशल इश्यू, 2011
- ल्वनदह च्ण्टण ;1968द्धए ष्ैवपमदजपपिब ैवबपंस ैनतअमल ंदक त्मेमंतबीष् च्तपदजपबम भ्ंसस वि प्दकपं च्तपअंजम सपउपजमक छमू क्मसीपए 2017
- समावेशी विकास सूचकांक–2020.